संख्या-2024/ 001-3905422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-14/03/2024

विषयः- जनपद हापुड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-422/नि0 हापुड़ स्टे0 पत्रा/2023-24, दिनांक 03.07.2023 एवं पत्र संख्या-जी-1127/नि0 हापुड़ स्टे0 पत्रा/2023-24, दिनांक 19.12.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हापुड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 2498.75 लाख का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 2355.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-102-खेलकूद स्टेडिया-10-जनपद हापुड़ में स्टेडियम का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद '' में व्यवस्थित धनराशि रू0 5,00,00,000/-(रुपये पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,00,00,000/-(रुपये पांच करोड़ मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त कार्यों की ड्राइंग को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन का गठन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक-272 कैम्प/मु0अभि0 (भवन)/2023 दिनांक 10-10-2023 तथा पत्रांक-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023 दिनांक 26-10-2023 के द्वारा डी0एस0 आर0/ डी0पी0ए0आर0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की दरों में फैक्टर / कास्ट इन्डेक्स का समावेश करते हुए किया गया है तथा जो दरें इसमें उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित जी0एस0टी0 मद में कार्यों की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

(6) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु लागत एकमुश्त रू0 8.00 लाख को अनुमन्य किया गया है। वाह्य विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से प्राप्त विस्तृत आगणन के आधार पर एवं सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उक्त कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत 18681.78 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 52.78 लाख की लागत प्रस्तावित किया गया है। कार्यस्थल में मिट्टी भराई से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की मिट्टी भराई सम्बन्धित रिपोर्ट एवं मिट्टी भराई से सम्बन्धित कार्य स्थल की थ्री डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभाग द्वारा एकमुश्त धनराशि रू0 5.00 लाख अनुमन्य किया गया है। कार्य स्थल में मिट्टी भराई की वास्तविक धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की मिट्टी भराई सम्बन्धित रिपोर्ट एवं मिट्टी भराई से सम्बन्धित कार्य स्थल की थ्री डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज आधार पर देय होगी।

(8) निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व निदेशक, खेल की अध्यक्षता में सम्बन्धित खेल विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्य का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(9) प्रायोजना के अन्तर्गत D.G. Set(63 kva), Transformer (100 kva), Rain drop Flooring, Proflex Roofing, Synthetic atheletic track including high stress area, Aluminium Kerbing,Jumping Pits आदि की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें, निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आाधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(11) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

(17) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें, भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(19) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(21) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(22) निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के दिनॉक 17 मार्च, 2023 के क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 19 सितम्बर, 2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस हेतु शासन द्वार निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) कार्यदायी संस्था नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(25) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202031021000 जनपद हापुड में स्टेडियम का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-210-X-2023-24-दिनांक:14-3-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार-।।

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2024/ 001-3905422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, हापुड़।

5- उपक्रीड़ाधिकारी, जिला खेल कार्यालय, हापुड़।

6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

हृदय नारायण सिंह यादव

संयुक्त सचिव।

http://shasanade

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।